उद्धरण खतौनी

उद्धरण क्रमांक : 211982201803263

ग्राम क्रमांक : 211982 ग्राम का नाम / परगना : भैसौडवलायपहाड(कंतित) तहसील : लालगंज जनपद : मिर्जापुर फसली वर्ष : 1419-1424 भाग : 1

खाता खतौनी क्रम संख्या	खातेदार का नाम / पिता पति संरक्षक का नाम / निवास स्थान	भौमिक अधिकार प्रारम्भ होने का वर्ष	खाते के प्रत्येक गाटे की खसरा संख्या	प्रत्येक गाटे का क्षेत्रफल (हे.)	खातेदार द्वारा देय मालगुजारी या लगान	परिवर्तन सम्बन्धी आज्ञा या उसका सारांश उनकी संख्या तथा दिनाँक सहित और आज्ञा देने वाले अधिकारी का पद	टिप्पणी
1	------------------------------2------------------------------	3	4	5	6	7-12	13
श्रेणी : 1-क / भूमि जो संक्रमणीय भूमिधरो केअधिकार मे हो।							
00090	जगदीश,रामनरेश / लालमनि / नि. ग्राम गुलाबशंकर,इन्द्रेशप्रसाद / लालमनि / नि. ग्राम नवजीतकुमार / लक्ष्मीनरायन / नि. ग्राम दयाशंकर / शम्भूसरन / नि. ग्राम हरिप्रसाद / शम्भूसरन / नि. ग्राम शिवशंकर / शम्भूसरन / नि. ग्राम रमदेइया / स्व0शम्भूसरन / नि. ग्राम	1387फ0 1387फ0 1387फ0 1387फ0 1387फ0 1387फ0 1387फ0 1387फ0 1387फ0 1387फ0 1387फ0 1387फ0 1387फ0	2397 2398 2485 2486ख 2487 2495क 2507क 2623क 3330 3667अ0 2464 2465 2484	0.0700 0.0800 0.0400 0.2240 0.1500 0.0800 0.0400 0.0100 0.1100 0.0900 0.2000 0.1100 0.2200		1414फ. वाद सं0255/2007ना0तह0हलिया 19-6-2007मौजा भैसोडवलायपहाड तप्पा उपरौध परगना कंतित तह0 लालगंज जनपद मीरजापुर मं0 खतौनी फ0सन् 1413से 1418फ0के खाता सं084मे सा0आ0नं0543/0-7-0, 544/0-8-0,547/0-5-0योग 3गाटा रकवा 1-0-0 से बने हाल आ0नं02464मि./0.089,2465/0.101, 2484/0.063हे0योग 3गाटा /0.253हे0भू0रा060ख के अनुसार से विक्रेता शम्भूसरन पुत्र रामनाथ (मृतक)के वारिस दयाशंकर व हरिप्रसाद व शिवशंकर पुत्रगण शम्भूसरन व रमदेइया पत्नी शम्भूसरन नि0ग्राम भैसोडवलायपहाड का नाम निरस्त करके क्रेतिका श्रीमती नचकी विधवा रामस्वरूप नि0ग्राम भैसोडवलायपहाड का नाम बतौर संक्र0भूमिधर दर्ज हो।ह0ले07-7-2007 वाद सं0256/2007ना0तह0हलिया 19-6-2007मौजा भैसोडवलायपहाड तप्पा उपरौध परगना कंतित तहसील लालगंज जनपद मीरजापुर से सा0आ0नं0 343मि./0-6-0,मि.344/0-8-0,547मि./0-6-0योग 3गाटा रकवा 0-18-0से बनी खतौनी फ0सन् 1413से 1418फ0के खाता सं084की हाल	

कार्यालय	क्षेत्राधिकारी	लालगंज	जनपद	मीरजापुर

पत्र संख्या:ज0सू0आनलाईन-127/2026-SPMZR/R/2026/60135 दिनांक:अप्रैल 13 ,2026

सेवा मे,

श्रीमती साधना तिवारी

निवासी सुरेखापुरम् कालोनी, जबलपुर रोड मीरजापुर पिन कोड(231001)

मो0न0-6387233091

कृपया सूचना का अधिकारी अधिनियम 2005 के अधीन सूचना उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में अधोहस्ताक्षरी को सम्बोधित क्रमांक:ज0सू0आनलाईन-127/2026-SPMZR/R/2026/60135 दिनांकित 21.03.2026 के माध्यम से आवेदिका उपरोक्त के पत्र पर सूचना उपलब्ध कराये जाने विषयक है।

आप द्वारा अपेक्षित सूचना निम्नवत है। यदि आपको इस मांग के विरुद्ध कोई आपत्ति है तो आप अधिनियम की धारी 19(1) के अधीन इस पत्र के प्राप्त होने के दिनांक से 30 दिवस के अंदर अपीलीय प्राधिकारी के समक्ष अपील दायर कर सकती है।

क्र0सं0	प्रश्न	उत्तर
1	23 फरवरी, 2026 को अनुरोधित 30 दिन के विस्तार के बाद सीओ लालगंज द्वारा प्रस्तुत अंतिम जांच रिपोर्ट (जांच आख्या) की प्रमाणित प्रति प्रदान करें।	प्रकरण के सम्बन्ध मे आवेदिका द्वारा उ0प्र0 राज्य मानवाधिकार आयोग लखनऊ मे प्रेषित शिकायती प्रार्थना पत्र के सम्बन्ध में जांच मेरे पूर्वाधिकारी द्वारा की गयी थी। जिस पर आवेदिका द्वारा प्रेषित जांच आख्या पर कतिपय बिन्दुओ पर आपत्ति की गयी थी। तत्पश्चात आवेदिका व विपक्षी से सम्पर्क कर आवेदिका के मंशानुरुप पुनः वार्ता किया गया लेकिन आवेदिका संतुष्ठ नही हुई तथा दोनो पक्षो के मध्य बात नही बन सकी। तत्पश्चात दोनो पक्षो का बयान अंकित किया गया व राजस्व विभाग से आख्या प्राप्त कर तथ्यो / साक्ष्यो के आधार पर जांच की गयी। सुलभ संदर्भ हेतु जांच आख्या की प्रति संलग्न है।
2	क्या मेरे दिनांक 25 फरवरी, 2026 के आवेदन में अनुरोध के अनुसार, आरोपी हरिप्रसाद और दयाशंकर मिश्रा तथा संबंधित राजस्व अधिकारियों के विरुद्ध आईपीसी की धारा 420, 120बी, 466, 467, 468, 471 और 406 के तहत प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफआईआर) दर्ज की गई है?	प्रकरण के सम्बन्ध मे राजस्व विभाग से प्राप्त आख्यानुसार आवेदिका के पिता सियाकान्त पुत्र शम्भू के नाम ग्राम भैसोड़ बलाय पहाड़ मे कोई जमीन आवेदिका के पिता के नाम से नही है। अपितू आवेदिका के दादा शम्भू के नाम पूर्व में भूमि थी जिसका वरासत हो चुका है। अब कोई वरासत करना विधिक नही है। राजस्व विभाग की आख्या व उद्धरण खतौनी के अवलोकन से स्पष्ट है कि आवेदिका के पिता के नाम से ग्राम भैसोड़ बलाय पहाड़ (आवेदिका के मायका) में कोई जमीन आवेदिका के पिता के नाम से नही है। चूंकि आवेदिका का सम्पूर्ण प्रकरण सिविल प्रकृति का है, इस सम्बन्ध में मा0 सर्वोच्च न्यायालय द्वारा विशेष अनुज्ञा याचिका (क्रिमिनल) 8592/24 में यह व्यवस्था दी गयी है कि सिविल मामलों को आपराधिक रुप देकर प्रथम सूचना रिपोर्ट पंजीकृत न किया जाये। फिर भी आवेदिका को बताया गया कि वंश वृक्ष के आधार पर तहसीलदार न्यायालय में रा0सं0की धारा 34 के तहत वाद दायर कर अनुतोष प्राप्त करे।
3	यदि अभी तक कोई एफआईआर दर्ज नहीं की गई है, तो जांच अधिकारी द्वारा इसे संज्ञेय अपराध न मानने के संबंध में दर्ज किए गए तर्कसंगत आदेश या निर्णय की एक प्रति प्रदान करें।	प्रकरण के सम्बन्ध मे राजस्व विभाग से प्राप्त आख्यानुसार आवेदिका के पिता सियाकान्त पुत्र शम्भू के नाम ग्राम भैसोड़ बलाय पहाड़ मे कोई जमीन आवेदिका के पिता के नाम से नही है। अपितू आवेदिका के दादा शम्भू के नाम पूर्व में भूमि थी जिसका वरासत हो चुका है। अब कोई वरासत करना विधिक नही है। राजस्व विभाग की आख्या व उद्धरण खतौनी के अवलोकन से स्पष्ट है कि आवेदिका के पिता के नाम से ग्राम भैसोड़ बलाय पहाड़ (आवेदिका के मायका) में कोई जमीन आवेदिका के पिता के नाम से नही है। चूंकि आवेदिका का सम्पूर्ण प्रकरण सिविल प्रकृति का है, इस सम्बन्ध में मा0 सर्वोच्च न्यायालय द्वारा विशेष अनुज्ञा याचिका (क्रिमिनल) 8592/24 में यह व्यवस्था दी गयी है कि सिविल मामलों को आपराधिक रुप देकर प्रथम सूचना रिपोर्ट पंजीकृत न किया जाये। फिर भी आवेदिका को बताया गया कि वंश वृक्ष के आधार पर तहसीलदार न्यायालय मे रा0सं0की धारा 34 के तहत वाद दायर कर अनुतोष प्राप्त करे।

4	दिनांक 19 जून, 2007 के संपत्ति हस्तांतरण मामले संख्या 255/2007 के संबंध में जिन राजस्व अधिकारियों से पूछताछ की गई है या जिनकी पहचान की गई है, उनके नाम और पदनाम प्रदान करें।	उक्त प्रकरण राजस्व विभाग से सम्बन्धित है। आवेदिका को राजस्व विभाग में चाराजोई कर अनुतोष प्राप्त करने हेतु बताया गया।
5	साक्ष्य सूची में उल्लिखित परिवार रजिस्टर और हस्तांतरण प्रमाण पत्र सत्यापन की वर्तमान स्थिति प्रदान करें।	उक्त प्रकरण पुलिस विभाग से सम्बन्धित नही है। आवेदिका को सम्बन्धित विभाग से सम्पर्क कर सूचना प्राप्त करने हेतु बताया गया।

13/4/26

संलग्नकःयथोपरि

दिनांकःअप्रैल 13 ,2026

सहायक जनसूचना अधिकारी
क्षेत्राधिकारी लालगंज
मीरजापुर

क्षेत्राधिकारी–लालगंज
मीरजापुर

अपर पुलिस अधीक्षक नगर

जनपद मीरजापुर।

कृपया अपने पत्र संख्याःआयोग प्र0/पु0अ0नगर/सी-3(07)/2025 दिनांक 31.12.2025 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करे, जो उ0प्र0 मानवाधिकार आयोग लखनऊ मे प्रचलित केस संख्याः10035/24/55/2025 दिनांकित 03.10.2024 के माध्यम से प्राप्त आवेदिका श्रीमती साधना तिवारी निवासी सुरेकापुरम् कालोनी जबलपुर रोड मीरजापुर के संम्बन्ध मे मेरे पूर्वाधिकारी द्वारा प्रेषित जांच आख्या पर आवेदिका द्वारा कतिपय बिन्दुओ पर किये गये आपत्ति के क्रम में पुनः जांच कर आख्या उपलब्ध कराये जाने विषयक है।

आरोप—

विपक्षीगण द्वारा आवेदिका के पिता के हिस्से की जमीन को अपने नाम वरासत करा लेना आदि कतिपय आरोप अंकित है।

जांच विवरण—

संदर्भित प्रकरण की जांच के क्रम मे सम्बन्धित का अभिकथन अंकित किया गया,थाना ड्रमण्डगंज व राजस्व विभाग से प्राप्त आख्या / अभिलेखो का अवलोकन किया गया विवरण निम्नवत है—

1— बयान साधना तिवारी पत्नी स्व0 ओमकारनाथ तिवारी निवासी सुरेखापुरम् कालोनी,जबलपुर रोड थाना को0कटरा जनपद मीरजापुर मो0न0-6387233091 बता रही है कि मेरे पिता जी चार भाई क्रमशःदयाशंकर मिश्रा,हरिप्रसाद मिश्रा,सियाकान्त मिश्रा(पिता) व शिवशंकर मिश्रा थे। मेरे दादा का नाम शम्भूशरण मिश्रा था। मै जब 06 माह की थी तो मेरे माता जी का देहान्त हो गया तथा मेरे पिता का देहान्त वर्ष 2001 मे हुआ था। जिस कारण मेरा लालन पालन मेरे मौसी अहिल्या पाण्डेय व मौसा रामनरेश पाण्डेय निवासी बरधवा,थाना अमरपुर जनपद उमरिया म0प्र0 द्वारा किया गया है। मेरी शादी दिनांक 11.03.2012 को मेरे बड़े पिता हरिप्रसाद द्वारा किया गया था,परन्तु उनके द्वारा यह जानते हुए कि मेरे पति दिमाग के मेन्टेली थे,तथा पूर्व से शादी सूदा थे,तथा उनके तीन बच्चिया थे, जिसके बारे मे मेरे बड़े पिता हरिप्रसाद को जानकारी थी,इसके बावजूद उन्होने धोखे से मेरी शादी करवा दिया गया। शादी के बाद मेरे बड़े पिता जी द्वारा मुझसे मतलब रखना छोड़ दिये तथा आना जाना भी बन्द कर दिये। जब मेरे बड़े पिता जी द्वारा मेरे यहां आना जाना बन्द कर दिये तो मेरे द्वारा अपने पिता के हिस्से की जमीन अपने बड़े पिता व चाचा से मांग किया जाने लगा। तब मुझे पता चला कि पैतृक सम्पत्ति मेरे बडे पिता हरिप्रसाद व दयाशंकर मिश्रा के नाम से वर्ष 2007 मे वरासत होकर नाम खतौनी में दर्ज हो गया था। मेरे पिता की मृत्यु वर्ष 2001 मे तथा मेरे दादा की मृत्यु वर्ष 2005 मे हो तथा मेरे सबसे छोटे चाचा शिवशंकर मिश्रा,जो गुंगे बहरे थे, उनकी भी मृत्यु हो गयी है। मेरे दादा के मरने के बाद मेरे बड़े पिता हरिप्रसाद व चाचा दयाशंकर मिश्रा द्वारा धोखे से सम्पत्ति अपने नाम करवा लिये। विपक्षीगण द्वारा कहा जाता है कि मेरे पिता के नाम से कोई सम्पत्ति भैसोड़ बलाय पहाड़ में नही है। इस तरह विपक्षीगण राजस्व कर्मियो के मिलीभगत करके पूरी सम्पत्ति अपने नाम करा लिये है। बाकी मेरे द्वारा जो प्रार्थना पत्र है उसे मेरा बयान समझा जाये।

2—बयान हरिप्रसाद मिश्र पुत्र स्व0 शम्भूसरण मिश्र निवासी भैसोड़ बलाय थाना ड्रमण्डगजं जनपद मीरजापुर बता रहे है कि साधना तिवारी मेरे सबसे छोटे भाई सियाकान्त मिश्र की पुत्री है। मेरे भाई की पुत्री साधना तिवारी जब 03 वर्ष की थी उसी समय मेरे पिता जी द्वारा अपने जीवनकाल मे ही हम तीनो भाईयो का मौखिक बटवारा कर दिये थे, जिसके बाद हम तीनो भाई अपने अपने हिस्से मे रह रहे थे। मेरे छोटे भाई की मृत्यु से पूर्व उनके दवा इलाज मे मेरे पिता जी द्वारा उनके हिस्से की सारी जमीन बेच दिये थे। जब मेरे भाई की मृत्यु हो गयी तो हम दोनो

भाईयो द्वारा आवेदिका का लालन पालन किया तथा शादी विवाह किया गया। मेरे पिता की मृत्यु वर्ष 2005 में होने के पश्चात पश्चात समस्त सम्पत्ति मेरी माता व हम दो भाईयो क्रमशः मेरे व दयाशंकर के नाम समस्त सम्पत्ति वरासत हो गया था। उस समय साधना की उम्र करीब 11 वर्ष के आसपास थी। मेरी माता की मृत्यु वर्ष 2018 में होने के उपरान्त उक्त सम्पत्ति हम दोनो भाईयो के नाम वरासत होकर नाम खतौनी मे दर्ज हो गया। मेरे छोटे भाई का हिस्सा उनके दवा इलाज मे मेरे पिता जी द्वारा बेच दिया गया था। हम लोगो द्वारा अपने भाई का हिस्सा नही लिया गया है यदि आवेदिका को लगता है कि उसके पिता का हिस्सा बचा है तो अपने पिता के हिस्से से सम्बन्धित जमीन का कागज देकर अपने पिता की हिस्से की जमीन ले ले हमे कोई आपत्ति नही होगी।

अभिलेखीय साक्ष्य—

1—उद्धरण खतौनी का अवलोकन।

2—क्षेत्रीय लेखपाल की रिपोर्ट दिनांक 27.02.2026 का अवलोकन।

3—राजस्व विभाग के जांच आख्या का अवलोकन।

समीक्षा—

आवेदिका श्रीमती साधना तिवारी निवासी सुरेकापुरम् कालोनी, जबलपुर रोड मीरजापुर द्वारा प्रेषित शिकायती प्रार्थना पत्र मे अंकित आरोपो की जांच के क्रम मे सम्बन्धित के अंकित किये गये बयान,थाना ड्रमण्डगंज व राजस्व विभाग से प्राप्त आख्या / अभिलेखो के अवलोकन तथा अन्य श्रोतो से की गयी छानबीन / जानकारी से यह तथ्य संज्ञान मे आया कि आवेदिका के पिता आपस मे चार भाई थे, जिनकी करीब 60 विघा जमीन थी। विपक्षीगण हरिप्रसाद मिश्र व दयाशंकर मिश्र आवेदिका के बड़े पिता है। आवेदिका द्वारा बताया गया कि उसके पिता के हिस्से मे लगभग 15 विघा जमीन थी तथा आवेदिका के पिता का नाम राजस्व अभिलेखो मे दर्ज था। आवेदिका जब नाबालिग थी तभी उसके पिता की मृत्यु हो गयी थी।पिता की मृत्यु के बाद उसके बड़े पिता द्वारा उसका लालन पालन शादी व्याह कराया गया है। जिसके पश्चात उसके पिता के हिस्से की जमीन को विपक्षीगण द्वारा अपने नाम करा लिया गया है। उपरोक्त प्रकरण के सम्बन्ध मे आवेदिका द्वारा राजस्व विभाग मे प्रार्थना पत्र दिया गया था,जिसके सम्बन्ध मे राजस्व विभाग द्वारा जाचं की गयी, राजस्व विभाग के जांच आख्या का अवलोकन किया गया जिसमे मुख्य रुप से अंकित है कि आवेदिका के पिता सियाकान्त पुत्र शम्भू के नाम ग्राम भैसोड़ बलाय पहाड़ मे कोई जमीन आवेदिका के पिता के नाम से नही है। अपितू आवेदिका के दादा शम्भू के नाम पूर्व में भूमि थी जिसका वरासत हो चुका है। अब कोई वरासत करना विधिक नही है। यदि आवेदिका चाहती है तो वंश वृक्ष के आधार पर तहसीलदार न्यायालय मे रा0सं0की धारा 34 के तहत वाद दायर कर अनुतोष प्राप्त करने हेतु बताया गया।

निष्कर्ष—

अबतक की तमामी जांच,सम्बन्धित के अंकित किये गये बयान,थाना ड्रमण्डगंज व राजस्व विभाग से प्राप्त आख्या / अभिलेखो के अवलोकन तथा अन्य श्रोतो से की गयी छानबीन / जानकारी से पाया गया कि आवेदिका के पिता आपस में चार भाई थे, जिनकी करीब 60 विघा जमीन थी। विपक्षीगण हरिप्रसाद मिश्र व दयाशंकर मिश्र आवेदिका के बड़े पिता है। आवेदिका द्वारा बताया गया कि उसके पिता के हिस्से मे लगभग 15 विघा जमीन थी तथा आवेदिका के पिता का नाम राजस्व अभिलेखो मे दर्ज था। आवेदिका जब नाबालिग थी तभी उसके पिता की मृत्यु हो गयी थी। पिता की मृत्यु के बाद उसके बड़े पिता द्वारा उसका लालन पालन शादी व्याह कराया गया है। जिसके पश्चात उसके पिता के हिस्से की जमीन को विपक्षीगण द्वारा अपने नाम करा लिया गया है। उपरोक्त प्रकरण

के सम्बन्ध मे आवेदिका द्वारा राजस्व विभाग मे प्रार्थना पत्र दिया गया था,जिसके सम्बन्ध मे राजस्व विभाग द्वारा जाचं की गयी, राजस्व विभाग के जांच आख्या का अवलोकन किया गया जिसमे मुख्य रुप से अंकित है कि ***आवेदिका के पिता सियाकान्त पुत्र शम्भू के नाम ग्राम भैसोड़ बंलाय पहाड़ मे कोई जमीन आवेदिका के पिता के नाम से नही है । अपितू आवेदिका के दादा शम्भू के नाम पूर्व में भूमि थी जिसका वरासत हो चुका है । अब कोई वरासत करना विधिक नही है ।*** राजस्व विभाग की आख्या व उद्धरण खतौनी के अवलोकन से स्पष्ट है कि आवेदिका के पिता के नाम से ग्राम भैसोड़ बलाय पहाड़ (आवेदिका के मायका) में कोई जमीन आवेदिका के पिता के नाम से नही है । चूंकि आवेदिका का सम्पूर्ण प्रकरण सिविल प्रकृति का है, इस सम्बन्ध में मा0 सर्वोच्च न्यायालय द्वारा विशेष अनुज्ञा याचिका (क्रिमिनल) 8592/24 में यह व्यवस्था दी गयी है कि सिविल मामलों को आपराधिक रुप देकर प्रथम सूचना रिपोर्ट पंजीकृत न किया जाये। फिर भी आवेदिका को बताया गया कि वंश वृक्ष के आधार पर तहसीलदार न्यायालय मे रा0सं0की धारा 34 के तहत वाद दायर कर अनुतोष प्राप्त करे ।

आख्या सादर अवलोकनार्थ प्रेषित है ।

संलग्नक-यथोपरि

दिनांकः अप्रैल ,2025

13/4/26

(अमर बहादुर)
क्षेत्राधिकारी लालगंज
मीरजापुर

Online RTI Appeal Form Details

Public Authority Details :-	Print
*** Public Authority**	SUPERINTENDENT OF POLICE OFFICE MIRZAPUR
Personal Details:-	
*** Name**	Sadhana Tiwari
Gender	Male
*** Address**	Surekapuram Colony Jabalpur Road
Pincode	231001
State	Uttar Pradesh
Educational Status	Literate
Phone	Details not provided
Mobile	+91-638723XXXX View
Email	sadhanamishramzp[at]gmail[dot]com
Citizenship	Indian
*** Is the Applicant Below Poverty Line ?**	No
First Appeal Details u/s 19(1) :-	
Registration Number	SPMZR/A/2026/60035
Date of Filing	22/04/2026
Concerned Appellate Authority	Aparna Rajat Kaushik
Mobile	XXXX View
Email	395
*** Ground For Appeal**	Provided Incomplete,Misleading or False Information
((Description of Information sought (upto 500 characters))	
*** Prayer or Relief Sought**	Subject: First Appeal against the misleading and incomplete response provided by the PIO (ASP Operation) vide Letter No. ज०सू० आनलाईन-127/2026-SPMZR/R/2026/60135 dated 13.04.2026.1 Grounds for Appeal: Misleading and Evasive Response The PIO's response is factually inconsistent and fails to address the specific information sought regarding the criminal aspects o the case. The PIO has willfully labeled a clear case of criminal forgery (Section 466/467 IPC) and cheating (Section 420 IPC) as a "civil dispute" to avoid providing the names of the erring officials and the status of the investigation.2. Specific Contradictions in the PIO/Investigation Report: Fabricated "Oral Partition" Narrative: The PIO relies on a report stating an "oral partition" occurred. However, the revenue record (Khatauni 1419-1424 Fasli) proves the land remained in my grandfather's name until 2007. The PIO failed to provide any documentary evidence to support the "oral" claim, which is legally void as I was a 12-year-old minor in 2007. Failure to Identify Revenue Officials: My query (Point D) requested the names of the officials involved in Case No. 255/2007. The PIO evaded this by stating it is a "Revenue Department matter". This is denial of information; since the police conducted a "reinvestigation," they must have identified these individuals to conclude no crime occurred. Misleading Claim on Father"s Property: The report claims that no land exists in my father, Siyakant's, name. This is the very basis of my complaint: that his share was criminally deleted via forgery while I was a minor. The PIO is using the result of the crime to justify the non-existence of the crime. The "Medical Treatment" Concoction: The investigation accepts the uncle's statement that land was sold for my father"s treatment without verifying a registered sale deed. The PIO has not provided any such deed, proving the report is based on hearsay. 3. Criminality vs Civil Dispute: The PIO has cited SLP

	(Crl) 8592/24 to refuse the FIR. I clarify that I am not asking the police to "provide my share" (which is civil); I am asking for the status of action against the forgery of public documents. Forging a Varasat and selling the land 18 days later is a cognizable offence. 4. Relief Sought: Direction to the PIO to provide the names and designations of the revenue staff questioned regarding the 2007 transfer. Directions to provide the specific registered sale deed number (if any) that supports the claim that my father"s share was sold during his lifetime. Provision of the verification status of the Family Register and Transfer Certificate (Point E of RTI), which the PIC erroneously termed "not a police matter".Declaration: I, Sadhana Tiwari, declare that the facts stated above are true to my knowledge. The police are using procrastination and misleading narratives to shield land-grabbing activities.
Supporting document ((only pdf upto 1 MB))	

RTI Application Details u/s 6(1) :-

Registration Number	SPMZR/R/2026/60135
Date of Filing	21/03/2026
PIO of Public Authority approached	Rajkumar Meena
Designation	ASP OPERATION
Mobile	947356XXXX View
Email	aspopmzp[at]gmail[dot]com
PIO Order/Decision Number	Details not provided
* **PIO Order/Decision Date**	

Details for registration number : GOVUP/E/2026/0051430

Name Of Complainant	**Sadhana Tiwari**
Date of Receipt	**22/04/2026**
Received By Ministry/Department	**Uttar Pradesh**
Grievance Description	

BEFORE THE SUPERINTENDENT OF POLICE, MIRZAPUR
OBJECTION AGAINST THE ARBITRARY AND BIASED INVESTIGATION REPORT OF THE CIRCLE OFFICER (CO) LALGANJ

In the Matter of:
Case No. 10035/24/55/2025
(State Human Rights Commission)

Applicant: Sadhana Tiwari

MOST RESPECTFULLY SHOWETH:

The Applicant submits this formal objection against the Investigation Report dated April 2026, submitted by the Circle Officer (CO) Lalganj. The report is arbitrary, factually concocted, and legally unsustainable for the following reasons:

1. **Failure to Verify the "Medical Treatment" Alibi**
- The CO’s report blindly accepts the oral statement of the accused, Hariprasad, who claims that the grandfather sold the Applicant’s father’s share to pay for medical expenses.
- **Objection:** The report fails to cite or produce any Registered Sale Deed for such a transaction.
- **Arbitrariness:** Relying on hearsay over official revenue records—which showed the land in the grandfather's name until 2007—is a gross investigative failure.

2. **Illegal Validation of an "Oral Partition" Involving a Minor**
- The report relies on an alleged "oral partition" to justify the Applicant's exclusion from her father's inheritance.
- **Objection:** The report admits that the Applicant was a minor (approx. 12 years old) in 2007.
- **Legality:** A minor cannot be a party to an oral partition that forfeits their legal rights. The CO’s report arbitrarily treats this illegal act as a valid "civil" defense.

3. **Ignoring the Forgery of Public Records (Section 466 IPC)**
- The Applicant’s core complaint is not a simple land dispute but the criminal manipulation of public records.
- **Objection:** The report focuses solely on "current possession" rather than the act of forgery that occurred on June 19, 2007, when the Applicant’s name was intentionally omitted from the Varasat (Case No. 255/2007).
- **Arbitrariness:** By labelling forgery as a "civil nature" dispute, the CO has provided a safe exit for the accused and the involved revenue staff.

4. **Overlooking the "Quick-Flip" Sale (Criminal Intent)**
- The CO report fails to address the suspicious timeline where the property was sold just 18 days after the fraudulent inheritance was recorded.
- **Objection:** This rapid transfer to a third party (Smt. Nachki) is a classic indicator of a criminal conspiracy to liquidate stolen assets. The CO’s silence on this fact proves the report is biased.

5. **Contradictory Logic Regarding "Father's Property"**
- The report concludes that no land exists in the name of the father, Siyakant, and thus no crime was committed.
- **Objection:** This is a logical fallacy. The land does not exist in his name precisely because it was criminally removed via the fraudulent Varasat. The CO is using the outcome of the crime to deny that the crime occurred.

PRAYER

It is prayed that the Superintendent of Police, Mirzapur, treat the CO Lalganj’s report as void ab initio and biased. A fresh investigation must be ordered, and a criminal FIR must be registered under Sections 420, 120B, 466, 467, 468, 471, and 406 IPC against the accused and the revenue staff who facilitated this forgery.

Date: April 22, 2026
Place: Mirzapur
Sadhana Tiwari
(Applicant)

Current Status	**Grievance received**
Date of Action	**22/04/2026**
	Officer Concerns To
Forwarded to	**Uttar Pradesh**

Officer Name	**Shri Arvind Mohan (Joint Secretary)**
Organisation name	**Uttar Pradesh**
Contact Address	**Chief Minister Secretariat , Room No. 321, U.P. Secretariat, Lucknow**
Email Address	**arvind.12574@gov.in**
Contact Number	**05222226350**